न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.16/प्रा.पत्र/2015 (GCMS No. 2015/00215)	10.03.2015	12.08.2024

श्रीमती गुरूमेज कौर पत्नी पाल सिंह जाति सिख
निवासी ग्राम माटून्दा, तहसील व जिला बून्दी (राज.)

— प्रार्थिया

बनाम

1. स्वर्गीय साधू सिंह पुत्र अमर सिंह कौम सिख (जर्ये कायम मुकाम)
   1/1 इकबाल कौर पुत्री स्व. साधू सिंह पत्नी नखेर सिंह सिखजट निवासी ग्राम हंसापुरा पोस्ट गुलारिया, भोपा सिंह थाना बडा, तहसील पुआया, जिला शाहजहांपुर (उत्तरप्रदेश)
   1/2 राजिन्दर सिंह पुत्र स्व. साधू सिंह निवासी ग्राम माटून्दा।
   1/3 बलविन्दर सिंह पुत्र स्व. साधू सिंह निवासी ग्राम माटून्दा।
2. राजस्थान सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लेण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन एक्ट, 1975

उपस्थित–

प्रार्थिया की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं.1/1 लगायत 1/3 कीओर से श्री बृजराज शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इसप्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती गुरूमेज कौर द्वारा दिनांक 04.04.1997 को एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा को प्रस्तुत कर उसके खाते की भूमि के बदले केचमेंट के बाद वापस उसी स्थान पर भूमि देने हेतु निवेदन किया गया। अतिरिक्त कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार सी.ए.डी. दीगोद मु0 कोटा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कृषक श्री साधूसिंह आ. अमर सिंह जाट सिख के पुराने खसरा नं. 879/2026 जो कि मेन ड्रेन के सहारे ग्राम दयालपुरा की सीमा पर स्थित है, का पाल व फील्ड

जिला कलक्टर; बून्दी

ड्रेन के बीच का 01 बीघा 10 बिस्वा रकबा केचमेंट से बाहर रहा था, उसे तो पुनः आवंटन सूची में केचमेंट से बाहर ही बताया गया है किन्तु इसी खसरा नम्बर 879/2026 का 01 बीघा 06 बिस्वा रकबा मौके के अनुसार मेन ड्रेन के दूसरी ओर ग्राम दयालपुरा की सीमा के सहारे का भी केचमेंट से बाहर रहा है, जिसे न तो पुनः आवंटन सूची में केचमेंट से बाहर दिखाया गया है और न ही यह रकबा खातेदार के खाते में से केचमेंट के अन्दर कम किया गया है बल्कि केचमेंट से बाहर रही 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि को केचमेंट के अन्दर ही दे दी गई है, जो कि नियमान्तर्गत नहीं हैं। इस प्रकार श्री साधू सिंह को जो 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि केचमेंट के बाहर रही थी, उसके बदले केचमेंट के अन्दर दी गई भूमि में से 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि कम की जानी न्यायोचित होना मानते हुये अतिरिक्त कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा द्वारा दिनांक 27.05.1997 को उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थियां स्वीकार किया गया। अति. कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा द्वारा जारी उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर श्री साधू सिंह आ. अमर सिंह द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा के यहां अपील सं. आरएलडीसी 02/97 पेश की गई, जो निर्णय दिनांक 30.12.1998 से अस्वीकार की गई। तदोपरान्त रिट याचिका सं. 446/99 बउनवान साधु सिंह बनाम सरकार के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.11.2006 पारित कर अतिरिक्त कलक्टर (सीएडी) कोटा को प्रार्थी साधूसिंह को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए गुरूमेज कौर के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर नये सिरे से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सी.ए.डी. चम्बल कोटा द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा का पद दिनांक 31.03.1998 से समाप्त हो जाने के कारण पूर्व की संबंधित पत्रावलियां राजस्थान लेण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन की धारा 32 के अन्तर्गत सुनवाई का अधिकार न्यायालय जिला कलक्टर को होने से बून्दी के क्षेत्राधिकार अनुसार जिला कलक्टर बून्दी को भिजवाया जाना अवगत कराते हुये प्रार्थी साधूसिंह आ. अमरसिंह को माननीय उच्च न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुये निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 02.01.2007 जारी किया गया।

सहायक भू अभिलेख अधिकारी कम तहसीलदार सी.ए.डी. कोटा के पत्र क्रमांक 643 दिनांक 05.06.2007 से उक्त पत्रावली प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक न्याय/2007/4169 दिनांक 23.06.07 से प्रकरण में सुनवाई राजस्थान लेण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन अधिनियम,1975 की धारा 32 के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा की जानी है अथवा नहीं ? बाबत संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा से मार्गदर्शन चाहा गया। तत्पश्चात प्रकरण इस न्यायालय में पंजिका के क्रमांक 22/प्रार्थनापत्र/2013 पर दिनांक 27.05.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान वास्ते सुनवाई जरिए नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं.1 साधू सिंह जर्ये वकील उपस्थित न्यायालय आये तथा अप्रार्थी सं.2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये, किन्तु प्रार्थिया श्रीमती

जिला कलक्टर; बून्दी

गुरूमेज कौर के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 30.09.2014 को खारिज किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने प्रस्तुत किया गया जो बाद सुनवाई मेरिट पर निर्णय किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.03.2015 को प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया। राजस्थान लेण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन अधिनियम,1975 की धारा 32 के अनुसार प्रकरण सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थिया दायरा पंजिका में क्रमांक 16/2015 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2015/00215 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। प्रकरण में विवादित भूमियों की मौके एवं रेकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बून्दी से तलब की गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थिया ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्राथिया के प्रार्थना पत्र पर अतिरिक्त कलक्टर (सी0ए0डी0) कोटा द्वारा केचमेंट एरिया का मौका निरीक्षण किया जाकर एवं रेकार्ड की जांच करवाई जाकर दिनांक 27.05.1997 को प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया गया तथा केचमेंट के दौरान सही स्थान पर प्रार्थिया की कृषि भूमि दिये जाने के आदेश तहसीलदार दीगोद को दिये गये, जो विधिसम्मत है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के यहां की गई अपील सारहीन होने से खारिज हो चुकी है। अतः अतिरिक्त कलक्टर (सी0ए0डी0) कोटा द्वारा पारित निर्णय अनुसार पालना करवाई जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.97 पर अतिरिक्त कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा द्वारा आदेश दिनांक 27.05.1997 एवं संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 30.12.1998 अप्रार्थी को बिना सुने एकतरफा पारित किये गये है। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 446/99 साधू सिंह बनाम सरकार वगै. में आदेश दिनांक 20.11.2006 पारित किया जाकर उक्त दोनों आदेशों को निरस्त किया जाकर पत्रावली को अतिरिक्त कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा को दुबारा सुनवाई कर निर्णय करने के लिए रिमाण्ड किया गया। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई के दौरान दिनांक 16.11.2015 को तहसीलदार बून्दी को मौका रिपोर्ट भिजवाये जाने का आदेश प्रदान किया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बून्दी द्वारा एकतरफा रिपोर्ट दिनांक 30.6.2017 को भिजवाई गई। उक्त रिपोर्ट अप्रार्थी को मौके पर बुलवाये बिना उसकी गैरमौजूदगी में बनाई गई, जो निराधार तथ्यों पर आधारित है। वैसे प्रार्थियां का प्रार्थना पत्र ही निराधार है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

वह केचमेंट के बाद खाते के अनुसार अपनी भूमि पर कब्जा ले चुकी है। उक्त खसरा सं. 877/2 के तीनों सहखातेदारान अपने अपने खाते की जमीन पर कब्जा प्राप्त करके काबिज काश्त है। तीनों खातेदारान में अब कोई विवाद नहीं रहा है। प्रकरण में वास्तविक स्थिति यह है कि ग्राम माटून्दा की खसरा सं.877/2 रकबा 12 बीघा भूमि शामलाती खाते में श्रीमती गुरूमेज कौर, श्रीमती अजमेर कौर एवं अजीत सिंह के नाम अंकित थी। उक्त भूमि पर केचमेंट होने के पश्चात बाद कटौती 12 बिस्वा शेष 11 बीघा 08 बिस्वा में से सहखातेदारान अपना अपना हिस्सा 3 बीघा 16 बिस्वा प्राप्त कर चुके है। प्रार्थिया श्रीमती गुरूमेज कौर न केवल अपने हिस्से के खसरा संख्या 2284 पर काबिज काश्त है बल्कि उसने इस भूमि को रहन रखकर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा माटून्दा से ऋण लिया हुआ है, जिसका नोट जमाबंदी में अंकित है। केचमेंट के बाद प्रार्थिया के पति पालसिंह को उसके खाते की अन्य भूमि खसरा संख्या 2283 दी गई है, चूंकि खातेदारों को उसके सभी खाते की भूमियां एक ही स्थान पर दी जाती है इसलिए पत्नी गुरूमेज कौर की जमीन खसरा सं. 2284 उसके पति पालसिंह की जमीन खसरा सं. 2283 के पास में ही दी गई है जो केचमेंट के नियमानुसार एवं पारिवारिक रूप से सुविधाजनक होने से प्रार्थिया के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है इसलिए अनियमितता का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र बाद केचमेंट नियमानुसार भूमि प्राप्त करने के पश्चात जानबूझकर महज अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की दुर्भावना से प्रस्तुत किया है, जो नितांत झूठे व निराधार तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में आर. बी.जे. 2002 (9) पेज 385 की नजीर पेश की गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि ग्राम माटून्दा में बाद केचमेंट वापस भूमि आवंटन उपरान्त प्रार्थिया श्रीमती गुरूमेज कौर द्वारा दिनांक 04.04.1997 को एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा को उसके खाते की भूमि सही स्थान पर दिये जाने बाबत प्रस्तुत किया था। अतिरिक्त कलक्टर (सीएडी) कोटा द्वारा दिनांक 27.05.1997 को उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थियां स्वीकार किया जाकर केचमेंट से प्रभावित खातेदारान को तहसीलदार सी.ए.डी. दीगोद मु0 कोटा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूमियों का आवंटन किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर श्री साधू सिंह द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा के यहां अपील पेश की गई, जो निर्णय दिनांक 30.12.1998 से अस्वीकार की गई। तदोपरान्त रिट याचिका संख्या 446/99 बउनवान साधु सिंह बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.11.2006 पारित कर अतिरिक्त कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा का निर्णय दिनांक 27.5.97 एवं

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलक्टर, बून्दी

संभागीय आयुक्त कोटा का निर्णय दिनांक 30.12.98 निरस्त किये जाकर अतिरिक्त कलक्टर (सीएडी) कोटा को प्रार्थी साधूसिंह को सुनवाई का अवसर देते हुए गुरूमेज कौर के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर नये सिरे से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार अतिरिक्त कलक्टर (सीएडी) कोटा द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के यहां अपील दायर हो जाने से एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 20.11.2006 से अतिरिक्त कलक्टर (सीएडी) कोटा का उक्त आदेश दिनांक 27.05.1997 निरस्त हो जाने से उसकी पालना नहीं हो सकी थी।

क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सी.ए.डी. चम्बल कोटा द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (सी.ए.डी.) कोटा का पद दिनांक 31.03.1998 से समाप्त हो जाने के कारण राजस्थान लेण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन अधिनियम,1975 की धारा 32 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती गुरूमेज कौर पत्नी पालसिंह, अजमेर कौर पुत्री गुरूमुखसिंह एवं अजीत सिह पुत्र बहादुरसिंह के शामलाती खाते में स्थित कृषि भूमि ग्राम माटून्दा के साबिक खसरा नं. 877/2 रकबा 12 बीघा में केचमेंट कार्य हुआ था। जिसमें श्रीमती गुरूमेज कौर का 4 बीघा हिस्सा स्थित था, जो बाद केचमेंट नियमानुसार 04 बिस्वा कटौती उपरान्त 3 बीघा 16 बिस्वा वापस संभलाई गई थी, उक्त भूमि प्रार्थियां के पति पालसिंह की अन्य भूमि साबिक खसरा नं. 872/2001, केचमेंट के बाद नये खसरा नं. 2283 के समीपस्थ ही पारिवारिक सुविधानुसार उसकी पत्नी प्रार्थियां गुरूमेज कौर को नवीन खसरा नं. 2284 के रूप में आवंटित की गई थी, जबकि शेष सहखातेदारान श्रीमती अजमेर कौर को नये खसरा नं. 2298 एवं श्री अजीत सिंह को नये खसरा नं. 2297 के रूप में उनके हिस्से की भूमि आवंटित की गई। इस प्रकार उक्त पुराना खसरा नं. 877/2 की भूमि केचमेंट के बाद तीनों सहखातेदारान को बाद नियमानुसार कटौती वापस लौटा दी गई। प्रकरण में सुनवाई के दौरान केचमेंट विभाग द्वारा खातेदारान को दी गई वादग्रस्त कृषि भूमियों पर प्राथियां एवं अप्रार्थीगण निरन्तर काबिज काश्त होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। प्रार्थिया द्वारा वादग्रस्त आराजी को बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, माटून्दा के रहन रखकर ऋण प्राप्त किया जाना नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 से प्रमाणित है। दौराने बहस यह तथ्य भी सामने आये कि ग्राम माटून्दा के उक्त केचमेंट एरिया के कृषकों द्वारा बाद केचमेंट विगत 27 वर्षो में अपने अपने खेतों में काबिज काश्त रहकर अनेक विकास कार्य आदि करवाये जा चुके है तथा कुछ कृषकों द्वारा अपने खाते में प्राप्त कृषि भूमियों को बैंकों के रहन रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलक्टर, बून्दी

जहां तक माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 446/99 साधू सिंह बनाम सरकार वगै. में पारित आदेश दिनांक 20.11.2006 से निरस्त किये जा चुके अतिरिक्त कलक्टर (सीएडी) कोटा के आदेश अनुसार प्रार्थियां को केचमेंट से पूर्व के स्थान पर ही भूमि आवंटन किये जाने का प्रश्न है तो ऐसा करने के लिए ग्राम माटून्दा के उक्त सम्पूर्ण ब्लॉक की बाद केचमेंट भूमि आवंटन की कार्यवाही दूबारा नये सिरे से करनी होगी, जो अब 27 वर्ष गुजर जाने के बाद धरातल पर संभव नहीं है तथा जिससे वादकरण को बढावा मिलेगा। ऐसी स्थिति में लम्बें कालान्तर के उपरान्त केचमेंट एरिया की भूमियों के खसरा नम्बरान की हदबन्दी को हटाया जाना कानूनी एवं तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन सें स्पष्ट है कि ग्राम माटून्दा में हुये केचमेंट कार्यवाही के बाद सभी खातेदारान द्वारा उनके खाते में दर्ज कृषि भूमियों का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है तथा वे अपनी अपनी कृषि पर काबिज काश्त है। प्रार्थियां द्वारा बाद कटौती केचमेंट उसे आवंटन योग्य पूरा रकबा आवंटित होना तथा उस पर प्रार्थिया का काबिज काश्त होना स्वीकार किया गया, उसकी आपत्ति मात्र पूर्व के स्थान पर वापस भूमि आवंटन को लेकर रही है, किन्तु केचमेंट कार्यवाही को लम्बी अवधि गुजर जाने के बाद खातेदारान के राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति में हस्तक्षेप करना कानूनी एवं तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थियां अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी